NCRES
NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH
Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

R. P. Singh
Gen. Secretary
&
Treasurer-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony
Sulem Sarai, Prayagraj - 211011
P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No: 245/NCRES/71/2025 Date: 30.12.2025

श्रीमान महाप्रबन्धक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः—नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के कैंसर के मरीजो को इलाज में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः—CHD/NCR/PRYJ Letter No. 2-Med/ Policy/ Recog/ GM/ Meeting/ Cancer Care treatment Date-04/11/2025.

महोदय,

अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कैंसर के मरीजो पर ज्यादा व्यय होने को आधार बना कर CHD/NCR/PRYJ के द्वारा सन्दर्भित पत्र दिनांक 04.11.2025 किया गया जिससे कैंसर के मरीजो को बेहद परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है और वे गंभीर बीमारी के साथ रेलवे हास्पिटल एवं अन्य सरकरी अस्पतालों के चक्कर लगा—लगा कर और बीमार हो रहे है।

CHD/NCR/PRYJ के उपरोक्त संदर्भित पत्र जारी होने के पश्चात नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कैंसर के मरीजो को TATA,AIMS एवं अन्य सरकारी अस्पतालों के अलावा अन्य कैंसर के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में रिफर नही किया जा रहा है, यहां तक कि जिन मरीजो के दिल्ली के रेफरल प्राईवेट अस्पतालों में वर्षो से कीमोथैरिपी एवं अन्य इलाज चल रहा था उन्हें भी अब नये सिरे से इलाज के लिए TATA,AIMS एवं अन्य सरकरी अस्पतालों में भेजा जा रहा है, जिससे कर्मचारी परेशान होकर अपने पैसों से प्राईवेट अस्पतालो में इलाज करा रहा है या दर—दर भटक रहा है जिससे कर्मचारियो में बहुत असंतोष फैल रहा है।

यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त पत्र में जिस रेलवे बोर्ड के पत्र No. 2025/1&Trans.Cell/Health care/2/PE Office No.3482216 Date-05/05/2025.का जिक्र किया गया है उसमें TATA,AIMS एवं अन्य सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजो को इलाज हेतु गाइड लाइन्स जारी की गयी है लेकिन कही भी रेफरल प्राईवेट अस्पतालों में इलाज हेतु भेजने से मना नही किया गया है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के कैंसर के मरीजो को इलाज में हो रही परेशानियों को देखते हुए TATA,AIMS एवं अन्य सरकारी अस्पतालों सहित पूर्व की तरह नार्थ सेन्ट्रल रेलवे से सम्बद्व अन्य रेफरल प्राईवेट हास्पिटल में इलाज की सुविधा को बरकरार रखने हेतु उचित आदेश जारी किया जाए ताकि कैंसर के मरीज जल्द स्वस्थ होकर पूरी निष्ठा के साथ रेल की सेवा कर सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

संलग्न :— 1. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी , नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज
2. मुख्य स्वास्थ निदेशक, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज